# न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / आरटीआई / 73/21 / 2021

ननुआ उर्फ नन्नूसिंह ग्राम सहारई पोस्ट श्यौरावली तहसील डीग जिला भरतपुर।

बनाम

तहसीलदार डीग ।

**अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005**

## आदेश

**दिनांक 12.10.2021**

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ननुआ उर्फ नन्नूसिंह ग्राम सहारई पोस्ट श्यौरावली तहसील डीग जिला भरतपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 05.03.2021 तहसीलदार, डीग से सूचना चाही गयी थी। तहसीलदार, डीग द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक / कोर्ट / 584 दिनांक 20.09.2021 के द्वारा तहसीलदार, डीग से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार, डीग से कोई जबाव प्राप्त नहीं हुआ है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई एक बिन्दु की सूचना तहसीलदार, डीग ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार, डीग से उक्त बिन्दु की सूचना दिलायी जाने की प्रार्थना की है। इस सम्बन्ध में तहसीलदार, डीग से कोई जबाव प्राप्त नहीं हुआ है, जो गम्भीर बात है। तहसीलदार, डीग से जबाव प्राप्त नहीं होना यह जाहिर करता है कि अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, जबकि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थी को अन्दर 30 दिवस कार्यवाही कर सूचना उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार, डीग को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8, 9 एवं 11 के बाध्यकारी प्रावधानों को मध्येनजर रखते हुये तदोपरान्त ही अपीलार्थी को निःशुल्क सूचना उपलब्ध कराई जावे।

अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति तहसीलदार, डीग को पालनार्थ भेजी जावे एवं सूचनार्थ अपीलांट को भी प्रेषित हो।

**(हिमांशु गुप्ता)**
**जिला कलक्टर**
**भरतपुर**